सं0-149/2025//001-1089-23-12-2025-23-1137802

प्रेषक,

रिपुन्जय गुप्ता,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 28 नवम्बर, 2025

विषय:-केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत जनपद बदायूँ के सहसवान नाधा से पाठकपुर गढी खानपुर मार्ग (रसूलपुर से भोजीपुरा पावई बजीरपुर कोठा गढ़ी से खानपुर मार्ग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य पर अतिरिक्त जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र सं0-6909बीजी/सी0आर0एफ0-/2024-25, दिनांक 08.09.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-04/2016/450/23-12-2016-जी0आई0-66/16, दिनांक 30.03.2016 द्वारा केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यों के साथ-साथ जनपद बदायूँ के सहसवान नाधा से पाठकपुर गढी खानपुर मार्ग (रसूलपुर से भोजीपुरा पावई बजीरपुर कोठा गढ़ी से खानपुर मार्ग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु मूल लागत रू0 1484.00 लाख की प्रदान की गई प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को अधोलिखित तालिका के कॉलम-7 में अंकित लागत जिसका कुल योग रू0 1532.93 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ बत्तीस लाख तिरानबे हजार मात्र) है, की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

सं0	स्वीकृति से सम्बन्धित मूल शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य/मार्ग का नाम	मूल/ प्राविधिक लागत	अब तक आवंटन /व्यय	दिनांक 01.07.2017 के उपरान्त किये गए कार्य पर जी0एस0टी0 के अतिरिक्त देयता की धनराशि	जी0एस0टी0 सहित कुल पुनरीक्षित लागत (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	04/2016/450/23-12-2016-जी0आई0-66/16, दिनांक 30.03.2016	जनपद बदायूँ के सहसवान नाधा से पाठकपुर गढी खानपुर मार्ग (रसूलपुर से भोजीपुरा पावई बजीरपुर कोठा गढ़ी से खानपुर मार्ग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पर जी0एस0टी0	1484.00	1484.00	48.93	1532.93

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वितीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि का शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) कार्यालयय प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग प्रश्नगत जी0एस0टी0 की गणना के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

(4) जी0एस0टी0 का भुगतान वास्तविक देयता के आधार पर किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है। उक्त कार्य को गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराकर फोटोग्राफ सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(9) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) उपरोक्त उल्लिखित कार्य के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियंन्ता द्वारा रोड सेफ्टी का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054048000421 सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यों के लिए व्यवस्था (के.100/रा.0-के.) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-8-624-X-2025-26, दिनांक 24.11.2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रिपुन्जय गुप्ता
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सं0-149/2025//001-1089(1)- 23-12-2025-23-1137802 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।

4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

5- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- अधीक्षण अभियन्ता, बदायूँ/पीलीभीत वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बरेली।
8- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बदायूँ ।
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन अनु0-2
11- आयुक्त एवं निदेशक (सामग्री क्रय अनुभाग), उ0प्र0 कानपुर।
12- लोक निर्माण अनु0-10
13- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रिपुन्जय गुप्ता)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।